न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 76/2017 (उदयपुर डिकी)

1. फतहसिंह पिता रोड़सिंह जी राजपूत, निवासी गांव वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. यागवेन्द्रसिंह पिता फतहसिंह जी राजपूत, निवासी गांव वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. इन्द्रसिंह पिता फतहसिंह जी राजपूत, निवासी गांव वसु, हाल 98, नाकोड़ा नगर, धाऊजी की बावड़ी, रकमपुरा रोड़, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती प्रेम कुंवर (पिता फतहसिंह जी) पत्नी अमरसिंह जी कितावत, निवासी अजबरा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती वदन कुंवर (पिता रोड़सिंह जी) पत्नी अभयसिंह जी देवड़ा, निवासी मटून, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. महेन्द्रसिंह पिता चन्दनसिंह जी राजपूत, निवासी गांव वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती चन्दा कुंवर (पिता चन्दनसिंह जी) पत्नी निर्भयसिंह जी चौहान, निवासी कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती मनोहर कुंवर (पिता चन्दनसिंह जी) पत्नी नवलसिंह जी कितावत, निवासी अजबरा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती संतोष कुंवर (पिता चन्दनसिंह जी) पत्नी महेन्द्रसिंह जी चौहान, निवासी गामडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती हिमा कुंवर (पिता चन्दनसिंह जी) पत्नी जितेन्द्रसिंह जी राजपूत, निवासी थाणा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
9. मु॰ किशोर कुंवर बेवा चन्दनसिंह जी राजपूत, निवासी गांव वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

10. श्रीमती रजनी कुंवर पत्नी अचलसिंह जी देवड़ा, निवासी जगत, तहसील गिर्वा हाल म.नं. 1–प–35–36, हिरणमगरी सेक्टर 4, उदयपुर (राज.)

11. श्रीमती गायत्री कुंवर पत्नी कल्याणसिंह जी चुण्डावत, निवासी 230, अपार्टमेन्ट कपुराई चौकड़ी, बड़ौदा (गुजरात)

12. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

(2) <u>प्रकरण संख्या 90/2017 (उदयपुर डिकी)</u>

1. फतहसिंह पिता रोड़सिंह जी राजपूत, निवासी गांव वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2. यागवेन्द्रसिंह पिता फतहसिंह जी राजपूत, निवासी गांव वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. इन्द्रसिंह पिता फतहसिंह जी राजपूत, निवासी गांव वसु, हाल 98, नाकोड़ा नगर, धाऊजी की बावड़ी, रकमपुरा रोड़, उदयपुर (राज.)

2. श्रीमती प्रेम कुंवर (पिता फतहसिंह जी) पत्नी अमरसिंह जी कितावत, निवासी अजबरा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

3. श्रीमती वदन कुंवर (पिता रोड़सिंह जी) पत्नी अभयसिंह जी देवड़ा, निवासी मटून, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4. महेन्द्रसिंह पिता चन्दनसिंह जी राजपूत, निवासी गांव वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

5. श्रीमती चन्दा कुंवर (पिता चन्दनसिंह जी) पत्नी निर्भयसिंह जी चौहान, निवासी कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6. श्रीमती मनोहर कुंवर (पिता चन्दनसिंह जी) पत्नी नवलसिंह जी कितावत, निवासी अजबरा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

7. श्रीमती संतोष कुंवर (पिता चन्दनसिंह जी) पत्नी महेन्द्रसिंह जी चौहान, निवासी गामडा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

8. श्रीमती हिमा कुंवर (पिता चन्दनसिंह जी) पत्नी जितेन्द्रसिंह जी राजपूत, निवासी थाणा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
9. मु॰ किशोर कुंवर बेवा चन्दनसिंह जी राजपूत, निवासी गांव वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती रजनी कुंवर पत्नी अचलसिंह जी देवड़ा, निवासी जगत, तहसील गिर्वा हाल म.नं. 1–प–35–36, हिरणमगरी सेक्टर 4, उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती गायत्री कुंवर पत्नी कल्याणसिंह जी चुण्डावत, निवासी 230, अपार्टमेन्ट कपुराई चौकड़ी, बड़ौदा (गुजरात)
12. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलं अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी गिर्वा प्रकरण सं.
80/2014 प्रा॰डिक्री दिनांक 21.06.16
एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.08.16

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री खेमराज डांगी अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री जी. एस. मेहता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.यं. 12

———:::———

निर्णय दिनांक

28–03–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ ''क'' में अंकित आराजियात कुल किता 19 रकबा 3.2300 हैक्टर एवं परिशिष्ठ ''ख'' में अंकित आराजियात कुल किता 2 रकबा 2.6300 हैक्टर भूमि मौजा वसु में

स्थित होकर उसमें वादीगण का 2/15 हिस्सा है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर म्ल पुरूष रोडसिंह के दो पुत्र फतहसिंह व चन्दनसिंह तथा दो पुत्रियां रूप कुंवर व वदन कुंवर हुई, जिसमें से रूप कुंवर लाऔलाद फोत हो गयी। उपरोक्त सजरे अनुसार विवादित भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होकर वादीगण का 2/15 हिस्सा है एवं इसी अनुसार उपयोग–उपभाग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण से दुर्भावना रखने के कारण उक्त आराजियात खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं एवं दिनांक 25–02–2014 को खाता संख्या 142 की आराजियात प्रतिवादी संख्या 11 को गलत तरीके से विक्रय कर रजिस्ट्री करवा दी है। अतएवं वादीगण का वाद स्वीकार कर 2/15 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया।

प्रकरण में दिनांक 25–04–2016 को वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 23 नियम 3 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतएवं राजीनामे अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 21–06–2016 से वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31–08–2016 को अंतिम डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21–06–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 90/2017 इस न्यायालय में दिनांक 12–07–2017 को प्रस्तुत की गयी। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31–08–2016 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या

76/2017 इस न्यायालय में दिनांक 03–07–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

दोनों अपीलों के साथ अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट फतेहसिंह काफी बीमार हो जाने से वह अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल प्राप्त नहीं कर सका तथा ठीक होने पर नकलं प्राप्त कर अपीलं अविलम्ब प्रस्तुत कर दी हं। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली पर मनन किया। अपीलान्ट ने विलम्ब का कारण स्वयं का बीमार होना बताया है तथा इस हेतु हमारे सम्मुख चिकित्सा की पर्चियां पेश की हैं। अतएवं न्यायहित में एवं गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत उक्त दोनों अपीलों की मयाद कण्डोन की जाकर अपीलं श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

उक्त दोनों अपीलों में पक्षकारान एवं विषय वस्तु समान होकर दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 80/2014 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अतएवं दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपीलं दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की आर से वकील श्री जी0 एस0 मेहता उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर हैं।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलो तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया

कि विवादित आराजियात में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 वदन कुंवर का 1/3 हिस्सा था, जिसमें से उसके द्वारा 1/6 हिस्सा अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग कर दिये जाने से उसका 1/6 हिस्सा अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। राजीनामें में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ने कोई कथन नहीं किया है न ही वह राजीनामें में शामिल थी। ऐसी स्थिति में उसके हिस्से के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलान्टगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में तनकियात कायम कर तथा उन पर साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाना चाहिए था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की गयी है, वह त्रुटि पूर्ण हैं तथा प्रारम्भिक डिक्री पालना में तैयार फर्द बंटवाड़ा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं किया गया है। अतएवं दोनों अपीलं स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री अपास्त की जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में प्रमुख रूप से यह बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामें अनुसार ही वाद डिक्री किया गया है तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलान्ट संख्या 1 की पूर्व पत्नी श्रीमती रतन कुंवर की संतान होने से अपीलान्टगण उन्हें पैत्रृक सम्पत्ति से बेदखल करना चाहते हैं तथा नाजायज रूप से परेशान करने की गरज से उक्त अपीलें प्रस्तुत की हैं, जो सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जहां तक अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 76/2017 का प्रश्न है, प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो फर्द बंटवाड़ा तैयार किया गया है वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जबकि नवीनतम न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689 अनुसार तहसीलदार स्वयं

द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाना चाहिए। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 90/2017 का प्रश्न है, प्रतिवादी संख्या 4 व 11 के राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि विधि अनुसार राजीनामा सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रतिवादी/अपीलान्टगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया था, जिसपर तनकियात कायम कर साक्ष्य लेकर अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिए था, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री भी प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

उपरोक्तानुसार उक्त दोनों अपीलं अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21–06–2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31–08–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तनकियात कायम कर तथा उन पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर प्रारम्भिक डिक्री जारी करें तत्पश्चात् स्वयं तहसीलदार मौके पर जाकर पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें एवं अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त फर्द बंटवाड़े पर यह यदि पक्षकारान की किसी प्रकार की आपत्तियां हैं तो आपत्तियों का निर्धारण करते हुए विधि के आलोक में अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28–05–2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28–03–2019 का खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 वाडा, देबारी नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी व अन्य बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।